

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961
(कानूनी नियम और आदेश)


प्रारूप 21 ग
(नियम 64 देखिए)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा
150-झाड़ोल (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचन
निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की
धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

श्री बाबु लाल (नाम)
मु.-उपला थला, पो.-ढेडमारीया, तह.-कोटडा, जिला-उदयपुर (राज.) पिन कोड नं. 307025 (पता)
भारतीय जनता पार्टी रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक पार्टी का नाम

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान: कला महाविद्यालय (एमएलएसयू) उदयपुर
दिनांक: 11 दिसम्बर 2018


हस्ताक्षर
रिटनिंग ऑफिसर
विधानसभा क्षेत्र 150-झाड़ोल (अजजा)
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट) झाड़ोल

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from 150 - JHADOL (ST) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

(Name) BABU LAL

(Address).VILL.-UPLA THALA, POST- DHEDMARIYA, TEHSIL- KOTDA, DISTRICT- UDAIPUR(RAJ)

PIN- 307025

sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY (name of the recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Arts College (MLSU) Udaipur

Date 11 Dec 2018


Signature

रिजनिंग ऑफिसर
वियानसभा क्षेत्र 150-झाड़ोल (अजजा)
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट) झाड़ोल